



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

मंडल कार्यालय
कार्मिक विभाग
बिलासपुर - 495 004
दू.मा. : 62430, 07752-247030
फैक्स : 62934, 07752-247030



SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Divisional Office
Personnel Department
Bilaspur - 495 004
Tele : 62430 (Rly), 07752-247030 (DOT)
Fax : 62934 (Rly), 07752-247030 (DOT)

अधिसूचना

स- ई/249./वाणिज्य/सीसी/रि-इगेज

दिनांक 16.07.2018

विषय:-बिलासपुर मंडल के वाणिज्य विभाग में सेवानिवृत्त की मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनः पदस्थापन ।

बिलासपुर मंडल के वाणिज्य विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनःपदस्थापित हेतु पुर्णतः मासिक पारिश्रमिक के आधार पर आवेदन आमत्रित किया जाता है रेलवे बोर्ड के स्थापना नियम क्रमांक- 119/2016, 219/2009, 97/2015, 128/2017, 150/2017, तथा द.पू.म. रेलवे की स्थापना नियम क्रं. 167/2012, 152/2016, 294/2009, 131/2015, 176/2017, 202/2017 एवं 252/2017 के तहत।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्थापना क्रमांक 202/2017 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक पुनः पदस्थापना हेतु उसके द्वारा अंतिम वेतन भुगतान (जैसे:- बेसिक पे + डी.ए.) में उसके द्वारा प्राप्त पेंशन को कम करके निर्धारित किया जाएगा, उक्त पद हेतु आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में दिनांक 09.08.2018 तक या उससे पूर्व ही स्वीकार्य हैं ।

यह योजना दि: 01.12.2019 तक मान्य है।

सेवानिवृत्ति कर्मचारी की स्पष्ट रूपरेखा:-

सामान्य सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके रेलवे कर्मचारी ही पुनः पदस्थापना हेतु पात्र होंगे (अन्य सेवानिवृत्ति जैसे:- संरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी पात्र नहीं होंगे) पद एवं रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है।

पद का नाम	रिक्तियां	पात्रित वर्ग
Comm.-Cum Reservation Clerk (सभी ग्रेड)	20	वाणिज्य लिपिक एवं आरक्षण वर्ग के सभी ग्रेड पे/लेवल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, आयुसीमा 65 वर्ष तक।
TC/ECCA (सभी ग्रेड)	20	टिकट संग्राहक वर्ग के सभी ग्रेड पे/लेवल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, आयुसीमा 65 वर्ष तक।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्त:-

- सेवानिवृत्त रेलवे सेवक का उम्र की गणना पुनःपदस्थापना के समय 65 वर्ष से कम हो।
- उक्त पद हेतु चिकित्सीय वर्गीकरण बी-2 टिकट संग्राहक वर्ग के लिए एंव सी-1 वाणिज्य लिपिक एवं आरक्षण वर्ग के लिए उपयुक्त होगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपयुक्तता/दक्षता का ऑकलन पुनःपदस्थापना के पूर्व के मनी टंजेक्शन के रिकार्ड के साथ साथ अन्य रिकार्ड जो पुनःपदस्थापना के आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- पुनःपदस्थापित किये गये कर्मचारियों की सेवा स्वतः समाप्त होगी जैसे 65 वर्ष की आयु या पदों की उपलब्धता या स्थापना अवधि 01.12.2019 जो भी पहले लागू हो तक ही मान्य होगी।
- (i) पारिश्रमिक की दर - रेलवे बोर्ड के स्थापना क्रमांक 150/2017 एवं द.पू.म.रे. के स्थापना नियम 202/2017 के आधार पर देय होगा।
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक पुनः पदस्थापना हेतु उसके द्वारा अंतिम वेतन भुगतान (जैसे:- बेसिक पे + डी.ए.) में उसके द्वारा प्राप्त पेंशन को कम करके निर्धारित किया जाएगा।
- पुनःपदस्थापना हेतु कर्मचारियों की प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कहीं भी पदस्थापित किया जायेगा तथा कर्मचारी के इच्छानुसार पदस्थापना स्थान का निर्धारण नहीं किया जायेगा।
- अनुलगनक-1 में दिये गए प्रोफार्मा में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं अनुप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

अधिक जानकारी हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर सम्पर्क करें।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
द.पू.म.रे.बिलासपुर



अनुलग्नक-1

बिलसापुर मंडल के वाणिज्य विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक के आधार पर
.....लेवल.....पद पर पुनः पदस्थापना

फोटो
स्व.हस्ताक्षर

- (1) नाम _____
- (2) पिता का नाम _____
- (3) पी.पी.ओ.नं. (छाया प्रति संलग्न करें) _____
- (4) जन्म तिथि _____
- (5) शैक्षणिक योग्यता (छाया प्रति संलग्न करें) _____
- (6) सेवा निवृत्त की तिथि _____
- (7) युनिट जहा से सेवा निवृत्त हुआ _____
- (8) कार्य अवधि _____
- (9) सेवा निवृत्त के समय पदनाम _____
- (10) अंतिम देय वेतन _____
- (11) लेवल _____
- (12) कर्मचारी जहा से सेवा निवृत्त हुए रेलवे/मंडल _____
- (13) वर्तमान में देय पेंशन, _____
- (14) सेवा निवृत्त से पहलें का चिकित्सा वर्गीकरण _____
- (15) पत्र व्यवहार का पता _____
- (16) आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) _____
- (17) पेन नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) _____
- (18) मोबाईल नम्बर _____

सेवा निवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

मंडल कार्यालय
कार्मिक विभाग
बिलासपुर - 495 004
दूरभा. 62430 . 07752.247030
फैक्स : 62934 . 07752 247030



SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Divisional Office
Personnel Deptt.
Bilaspur - 495 004
Tele : 62430 (Rly) , 07752-247030 (DOT)
Fax : 62934 (Rly), 07752-247030 (DOT)

Notification

No:-E/249/Com/CC/Re-engage

Dtd. 16.07.2018

Sub:- Re-engagement of retired employee. on monthly remuneration in Commercial Department of Bilaspur Division.

Application are invited from retired staff of Commercial Department of Bilaspur Division for re-engagement purely on monthly remuneration in terms of per RBE No. 119/2016,219/2009,97/2015,128/2017,150/2017 & Circulated vide SECR/BSP Estt. Rule No. 294/2009,167/2012,131/2015,152/2016,176/2017,202/2017& 252/2017. Remuneration will be determined by reducing pension from his /her last pay drawn (ie Basic Pay + DA) vide Estt. Rule No. 202/17. Willing employee retired from Commercial Department may submit their application on or before **09.08.2018** to the office of the Sr. DPO/BSP/SECR .

The scheme is valid up to 01.12.2019.

Definition of Retired Employee:

A Railway servant must be retired after attaining superannuation (retired from LARGESS scheme or voluntary retirement or compulsory retirement will not be considered)

No. of vacancies and Name of the post:

Category	No of vacancies	Eligible Category
Comml.-Cum Reservation Clerk (All GP/Level)	20	Retired staff from Comml.-Cum Reservation Clerk (All GP/Level) age limit up to 65 yrs.
TC/ECCA (All GP/Level)	20	Retired staff from TC/ECCA (All GP/Level) age limit up to 65 yrs.

Important terms and conditions:

1. Retired Railway servant must be below 65 years of age on the date of engagement
2. Medical fitness for the appropriate category i.e B-2 for TC/ECCA group and C-1 for Comml.-Cum Reservation Clerk group
3. Suitability/Competency of staff will be adjudged before engagement on the basis of their previous money transaction record and other record as needed are adequately addressed.
4. The Re- engagement will automatically terminated once he/she attains 65 years of age or validity of scheme (i.e. 01.12.2019) or vacancies available which ever is earlier.
5. i) Rate of remuneration - As per RBE/150/2017 or SECR Estt Rule No-202/2017 .
II) Monthly remuneration of all retired employee being re-engaged be determined by reducing pension from his/her last pay drawn (i.e basic pay +DA)
6. The Re-engagement will be done at any place as per requirement of administration and no wiliness will be entertained.
7. Application should be applied in the format given as Annexure -1 along with self attested photocopies of all necessary documents attached there in .

For more details please visit SECR.Web set WWW.Indian railways gov.in

(A.V.S. Nehru)

Divl. Personnel Officer
For Sr Divl Personnel officer

ANNEXURE-1

Option for re-engagement of retired railway staff on monthly Remuneration for the post ofLevelin Commercial Department of Bilaspur Division:

Affix your
Self Attested
Photograph.

- 1) Name _____
- 2) Father's name _____
- 3) P.P.O. No. (Copy Enclosed.) _____
- 4) Date of Birth _____
- 5) Educational Qualification (Copy Enclosed) _____
- 6) Date of retirement _____
- 7) Unit retired form _____
- 8) Length of service _____
- 9) Design. At the time of retirement _____
- 10) Last Pay drawn _____
- 11) Level _____
- 12) Retired form Rly./Divn. _____
- 13) Present Drawing Pension _____
- 14) Medical classification before retirement _____
- 15) Residential Address (where the EX. Employee settled Off)

- 16) Aadhar No. (Copy Enclosed) _____
- 17) PAN No. (Copy Enclosed) _____